<u>प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 86/2022)</u>

<u>तत्काल प्रकाशन के लिए</u>

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

भादूविप्रा ने "मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) के पंजीकरण का नवीनीकरण" पर अनुशंसाए जारी कीं

नई दिल्ली, 29 दिसंबर 2022- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) के पंजीकरण का नवीनीकरण" पर अपनी अनुशंसाए जारी की हैं।

2. भारतीय प्रसारण क्षेत्र का डिजिटलीकरण वर्ष 2012 में शुरू हुआ और मार्च 2017 तक देश भर में पूरा हो गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने जून 2012 में डीएएस कार्यान्वयन के दौरान मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को पहला नया पंजीकरण जारी किया, जो जून 2022 में नवीनीकरण/विस्तार के लिए लंबित हो गया। हालांकि, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में एमएसओ पंजीकरण के नवीनीकरण के बारे में प्रावधान का उल्लेख नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण को एमएसओ नवीनीकरण प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसाए प्राप्त करने हेतु एमआईबी से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है।

3. इस संबंध में, भादूविप्रा ने सभी हितधारकों से टिप्पणियों को प्राप्त करने हेतु 20 जुलाई 2022 को 'मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) के पंजीकरण का नवीनीकरण' पर परामर्श पत्र जारी किया था। टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2022 थी और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2022 थी, जिसे कुछ हितधारकों के अनुरोध पर क्रमशः 24 अगस्त 2022 और 31 अगस्त 2022 तक बढ़ाया गया था। भादूविप्रा को परामर्श पत्र पर 10 हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं तथा कोई प्रति टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। ये टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस संबंध में ऑनलाइन माध्यम से 19 अक्टूबर 2022 को एक ओपन हाउस डिस्कशन भी आयोजित किया गया।

4. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों पर विचार करने और मुद्दों के आगे के विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

(i) एमएसओ पंजीकरण का नवीनीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जाना चाहिए।

(ii) प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि नवीनीकरण के समय प्रक्रिया शुल्क 1 लाख रुपये रखा जाना चाहिए।

(iii) प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि:

क. पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन करने की समय अवधि समाप्ति की तारीख से केवल 7 महीने पहले से समाप्ति की तारीख से 2 महीने पहले तक ही वैध होनी चाहिए।

ख. एमआईबी को अपनी वेबसाइट पर नवीनतम देय तिथि से शुरू होने वाली समाप्ति तिथि के साथ एमएसओ की सूची बनाए रखनी चाहिए।

ग. समाप्ति की नियत तारीख के रिमाइंडर के रूप में एक स्वचालित संचार, एमआईबी द्वारा समाप्ति की तारीख से कम से कम 7 महीने पहले संबंधित एमएसओ को भेजा जाना चाहिए।

घ. यदि आवेदक आसन्न समाप्ति के दो महीने के भीतर आवेदन करता है, तो ऐसे विलंबित आवेदन के कारण पर विचार करते हुए एमआईबी यह निर्णय ले सकता है कि नवीकरण के लिए ऐसे आवेदन पर विचार किया जाए या नहीं।

ङ. मौजूदा पंजीकरण की समाप्ति की तारीख को या उसके बाद एमआईबी द्वारा नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iv) प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि ऐसे सभी पंजीकरण, जो या तो समाप्त हो गए हैं या एमएसओ पंजीकरण के नवीकरण के संदर्भ में एमआईबी के निर्णय के कार्यान्वयन की तारीख से अगले 8 महीने के भीतर समाप्त होने वाले हैं, उन्हें नवीनीकरण के लिए नियमों/दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की तारीख से 8 महीने के बाद समाप्त माना जाना चाहिए।

(v) प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि उन सभी एमएसओ की सूची, जिनके आवेदन नवीनीकरण के लिए एमआईबी के पास लंबित हैं, पोर्टल पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा, अगर किसी एमएसओ का आवेदन विचाराधीन है (निर्णय के लिए लंबित), तो ऐसे एमएसओ को अंतिम निर्णय तक अस्थायी विस्तार माना जाना चाहिए।

(vi) प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि:

क. टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों में उचित संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रसारक ऐसे एमएसओ को सिग्नल प्रदान नहीं करते हैं जिनका पंजीकरण समाप्त हो गया है।

ख. एमआईबी को अपनी वेबसाइट पर ऐसे एमएसओ की सूची प्रकाशित करनी चाहिए, जिन्होंने निर्धारित समय अवधि के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।

ग. समाप्ति तिथि के बाद ऐसे एमएसओ के पंजीकरण की स्थिति को रद्द माना जाएगा

(vii) प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि:

क. नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू से अंत तक ऑनलाइन किया जाएगा, जिसमें एकल बिंदु सुविधा यानी ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से सभी दस्तावेजों को डिजिटल मोड में अपलोड करने की सुविधा होगी।

ख. ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी दस्तावेज जो एक एमएसओ के रूप में पंजीकरण के लिए आवश्यक होते हैं, वह ऐसे पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए भी आवश्यक होंगे।

ग. नवीकरण के लिए आवेदन करते समय, एक एमएसओ को संचालन के क्षेत्र (राज्यों के भीतर राज्यवार और जिलेवार) की जानकारी देनी चाहिए। इससे लाइसेंसकर्ता/नियामक को नवीनीकरण के समय एमएसओ के संचालन के क्षेत्र की सटीक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

घ. यह प्रमाणित करते हुए स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए कि संबंधित एमएसओ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आदेशों और विनियमों का अनुपालन कर रहा है तथा एमएसओ ने पिछले वर्ष तक मौजूदा विनियमों के अनुसार अपने सिस्टम का लेखा-परिक्षण करवाया है।

ङ. मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुपालन की पुष्टि करने हेतु प्रत्येक नवीनीकरण आवेदन प्राधिकरण को भेजा जाना चाहिए। अनुपालन की पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन हो सकती है। प्राधिकरण ऑनलाइन रेफरल के पंद्रह दिनों के भीतर गैर-अनुपालन का मामला होने पर, गैर-अनुपालन के स्पष्ट उदाहरण प्रदान करेगा। पारदर्शिता और स्पष्टता के उद्देश्य से, भादूविप्रा अपनी वेबसाइट पर एक विस्तृत परिपत्र जारी करेगा जिसमें समीक्षा प्रक्रिया की विशिष्टताएं और भादूविप्रा द्वारा ऐसी समीक्षा के आधार शामिल होंगे। यदि प्राधिकरण इस तरह के रेफरल के पंद्रह दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है, तो नियामक से अनुपालन को पुष्टि के रूप में माना जा सकता है।

5. अनुशंसाओं का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

6. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष सं.:+91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह0/-
(वि. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा